



छत्तीसगढ़ विधान सभा

षष्ठम् विधान सभा - पंचम सत्र

(दिनांक 24 फरवरी, 2025 से 21 मार्च, 2025 तक)

सत्रावधि में संपादित कार्यों की सांख्यिकीय जानकारी

सत्र की अवधि	26 दिन
बैठकों की संख्या	17
प्रश्नों पर चर्चा	14 घंटे 20 मिनट
तृतीय अनुपूरक	02 घंटे 40 मिनट
आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा	09 घंटे 04 मिनट
कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा	05 घंटे 59 मिनट
विनियोग विधेयक पर चर्चा	07 घंटे 44 मिनट
अनुदान मांगों पर चर्चा	48 घंटे 39 मिनट
बैठकों में लगा कुल समय	111 घंटे 22 मिनट

प्रश्न

सूचनाएं प्राप्त	2504
तारांकित प्रश्न	1286
अतारांकित प्रश्न	1218
ग्राह्य तारांकित	1096
ग्राह्य अतारांकित	1050
कुल ग्राह्य तारांकित एवं अतारांकित	2146
सदन में उत्तरित	133

शासकीय विधेयक

सूचनाएं प्राप्त	14
सदन में पारित	14 (02 विनियोग विधेयक सहित)

नियम 139 की सूचनाएं

कुल प्राप्त सूचनाएं	01
ग्राह्य	01

विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं

प्राप्त सूचनाएं	01
ग्राह्य	निरंक
अग्राह्य	01

स्थगन प्रस्ताव

कुल प्राप्त सूचनाएं	99
अग्राह्य	99
ग्राह्यता पर चर्चा	निरंक

ध्यानाकर्षण सूचनाएं

कुल प्राप्त सूचनाएं	562
ग्राह्य	193
अग्राह्य	317
शून्यकाल में परिवर्तित	52

नियम 267-क के अंतर्गत विषय

कुल सूचनाएं	105
ग्राह्य	33
अग्राह्य	20
ध्यानाकर्षण से परिवर्तित	52

अशासकीय संकल्प

प्राप्त सूचनाएं	35
ग्राह्य	16
अग्राह्य	19

व्यपगत

01

याचिकाएं

प्राप्त सूचनाएं	588
ग्राह्य	246
अग्राह्य	342
सदन में प्रस्तुत	202

अधिसूचना का पटल पर रखा जाना

प्राप्त अधिसूचना	15
पटल पर रखे गये	15

वित्तीय कार्य

1. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन, विचार तथा पारण ।
2. वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय व्ययक का उपस्थापन, सामान्य चर्चा, विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान ।

राज्य के विभिन्न निगम/मंडल/आयोगों के प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना

प्राप्त प्रतिवेदन	27
पटल पर रखे गये	27

विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना

1. कार्यमंत्रणा समिति	01
2. लोक लेखा समिति	27
3. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	04
4. याचिका समिति	01
5. शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति	07
6. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	03

राज्य के बजट से संबंधित जानकारीयों का पटल पर रखा जाना

1. छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25।
2. वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट (परफार्मेंस बजट) ।
3. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त स्थानीय निकायों पर प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-1 ।
4. छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार बजट अनुमान वर्ष 2024-2025 के संदर्भ में तृतीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा ।

अन्य

1. वित्तीय समितियों का वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु गठन ।
2. माननीय राष्ट्रपति के द्वारा सभा को संबोधन हेतु सभा भवन के उपयोग की अनुमति का प्रस्ताव ।

पुस्तकालय, संदर्भ एवं अनुसंधान सेवा	दिनांक 24 फरवरी से 21 मार्च 2025 तक सत्र के दौरान 05 माननीय सदस्यों ने पुस्तकालय भ्रमण कर जानकारी प्राप्त कीं, जिनमें से कुल 128 पृष्ठ छायाप्रति प्रदान की गयी है।
छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाइट	छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाइट में दिनांक 24 फरवरी से 21 मार्च, 2025 तक सत्रावधि के दौरान वेबसाइट पर सत्र संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई ।
छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रवेश पत्र	दिनांक 24 फरवरी से 21 मार्च, 2025 तक सत्रावधि के दौरान कार्यालय द्वारा 1500 अध्यक्षीय दीर्घा, 4000 प्रतिष्ठित दर्शक दीर्घा एवं 5000 दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी किए गए।

छत्तीसगढ़ विधानसभा का भ्रमण/कार्यवाही का अवलोकन	दिनांक 24 फरवरी से 21 मार्च, 2025 तक सत्रावधि के दौरान छत्तीसगढ़ की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के 1139 छात्र-छात्राओं/शिक्षकों को विधान सभा की कार्यवाही का अवलोकन/परिसर का भ्रमण कराया गया ।
--	---